भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3465
उत्तर देने की तारीख 15 जुलाई, 2019
सोमवार, 24 आषाढ़, 1941 (शक)

प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण

3465. श्री बी॰ वाई॰ राघवेन्द्रः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु बेंगलुरु में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां सरकार के पास पंजीकृत हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नियोक्ताओं को शिक्षुओं को संलग्न करना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या औद्योगिक इकाइयां/नियोक्ता अपनी इकाइयों में उक्त नियम का कार्यान्वयन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो शिक्षु अधिनियम के नियमों का कार्यान्वयन नहीं करने वाली कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) बैंगलुरू में शिक्षुता प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के पोर्टल “apprenticeshipindia.org.in” पर कुल 973 औद्योगिक इकाईयां पंजीकृत हैं।

(ख) शिक्षुता अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 2014) के अनुसार नियोजकों के लिए, जिनमें पास 40 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, अपनी औद्योगिक इकाई/प्रतिष्ठान की कुल जनशक्ति, जिसमें ठेका कर्मचारी भी शामिल हैं, के 2.5 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत को शिक्षुओं के तौर पर भर्ती करना अनिवार्य होगा। अत: इन औद्योगिक इकाईयों के लिए अपने प्रतिष्ठान की कुल श्रम शक्ति, ठेका कर्मचारी सहित, के न्यूनतम 2.5 प्रतिशत को वार्षिक रूप से शिक्षुता प्रशिक्षण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

(ग) तथा (घ) शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रहे औद्योगिक इकाईयों/नियोजकों का ब्यौरा तथा गत तीन वित्त-वर्षों के दौरान उनके द्वारा रखे गए शिक्षुओं की संख्या निम्न तालिका में दी गई है:

वित्त-वर्ष	**कुल प्रशिक्षु (सभी श्रेणियां)**	**शिक्षुओं के साथ संलग्न प्रतिष्ठान**
2016 – 17	3.78 लाख	21,413
2017 – 18	4.00 लाख	21,554
2018 – 19	4.45 लाख	22,802

(ड.) सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित करके कार्यक्रम की व्यापक पहुंच स्थापित करने के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों में जागरूकता का सृजन कर रही है। औद्योगिक इकाईयों/कंपनियों/संस्थापनाओं को अधिनियम पर शिक्षुता अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 2014) के प्रावधानों के अनुसार कारण बताओं नोटिस भी भेजे जा रहे हैं।

****